एफ.सं. ए-12018/08/2017-ईपीआई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई, 2018

बीसीजीवीएल, चेन्नई में लेवल-8 में प्रापण अधिकारी के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना।

डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में हितधारकों की टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु प्रापण अधिकारी, समूह 'ख', राजपत्रित के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर संशोधन संलग्न है। उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/सुझाव इनके प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित में उप-निदेशक प्रशासन (ईपीआई), कमरा सं. 647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110018 को किया जा सकता है तथा सॉफ्ट कॉपी epidghs@gmail.com पर भेजी जाए।

(स्वरूपा सरन)
उप-निदेशक

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में प्रापण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, प्रापण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है ।

   (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टोर अधिकारी	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परीवर्तनीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-8 (रु. 47600–151100)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुसूची

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति तथा प्रोन्नति) द्वारा	मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति तथा प्रोन्नति) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश अथवा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है लागु नहीं

			शोध संस्थानों अथवा स्वायत्त/ सांविधिक निकायों के अधिकारीगण जिन्होंने: क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् लेवल-7 (रु. 44900-142400/-) में नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा या उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् लेवल-6 (रु. 35400-112400/-) में नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो अथवा समकक्ष; एवं ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव का धारण करते हों: i) सामग्री प्रबंधन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय से वाणिज्य/व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ किसी विनिर्माण उद्योग में विक्रय, आपूर्ति, प्रापण, स्टोर प्रबंधन में 2 वर्षों का अनुभव। **<u>टिप्पण 1:</u>** बाहरी अभ्यर्थियों के साथ लेवल-6 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थी (स्टोर कीपर) पर भी		

			विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन होता है तो उस पद को प्रोन्नति के माध्यम से भरना माना जाएगा । **<u>टिप्पण 2:</u>** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **<u>टिप्पण 3:</u>** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख़ को अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(सं. ए-12018/08/2017-इपीआई)

(बी.एल. मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार